

# पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड

## POWERGRID KHETRI TRANSMISSION SYSTEM LIMITED

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)  
(A Govt. of India Enterprises)

765/400 kV substation, vill.-Jasrapur, Tehsil- Khetri, District- Jhunjhunu (Rajasthan), PIN-333514  
CIN : U40100DL2019GOI347127.

Ref: PKTSL/RTI/21/ 242

Date: 05.07.2021

To

Shri Omprakash S/o Khemram,  
Village – Rata Kalan, Tehsil – Ateli Mandi  
District – Mahendgarh

Subject: Regarding information to RTI application sent through Postal Order No. 53F 373245  
dtd. 18.06.2021.

Sir,

This has reference to your RTI application sent through Postal Order No. 53F 373245 dtd. 18.06.2021 vide which you have sought information under RTI Act-2005. In this regard point-wise information sought by you is as below:

Poin tNo.	Contents of the point on which the information sought	Information provided by PKTSL
1.	यह कि मन प्रार्थी को ग्राम रातकलां व ग्राम खैरानी के अन्तर्गत ए.पी. 99/00 से ए.पी. 100/01 की टोप सीट की सत्यापित प्रति दी जावे।	ग्राम रातकलां व ग्राम खैरानी के अन्तर्गत ए.पी. 99/00 से ए.पी. 100/01 की टोप सीट की सत्यापित प्रति संलग्न है।
2	यह कि खेवट नं. 174 खतौनी नं. 209, मुस्ततील व किला नं. 55/12/2(7-7), 3/2(7-7), 4/2(7-7) कित्ता 3 तादादी रकबा 22 कनाल 1 मरला, वाका रकबा मौजा खैरानी मे आपकी लाइन की वजह से कितना प्रतिबंधित क्षेत्र रखा गया है और कितनी जमीन बिना प्रतिबंधित क्षेत्र मे आती है। उसकी सत्यापित प्रति दी जावे।	ट्रांसमिशन लाइन के कॉरिडोर में कोई भी क्षेत्र कृषि उपयोग के लिए प्रतिबंधित नहीं है परन्तु सुरक्षा की दृष्टि से एंव इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा (68) उपधारा (5) के अनुसार उपरोक्त पारेषण लाइन के नजदीक कोई वृक्ष लगाना, निर्माण करना अथवा किसी भी अन्य प्रकार की वस्तु की स्थापना करना, जिससे लाईन के प्रचालन एंव अनुरक्षण में व्यवधान उत्पन्न हो, प्रतिबंधित है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2010, के अनुसार किसी भी स्ट्रक्चर/इमारत/वस्तु से कंडक्टर की लम्बवत एंव समांनांतर दूरी क्रमशः 10.6 मीटर एंव 8.9 मीटर से अधिक रहनी चाहिए। लाईन के नजदीक ऐसे किसी भी वृक्ष का रोपण प्रतिबंधित है, जिसकी भविष्य में ऊंचाई या शाखायें उपरोक्त नियम का उलंघन करती हो। लाईन के नीचे किसी प्रकार की खुदाई अथवा मिट्टी, खाद एंव ज्वलनशील पदार्थ जमा करना, आग जलाना, ऊंचे पाईप या खंबे का ट्रांसपोर्टेशन करना, 500 मीटर की दूरी तक ईटो का भट्टा स्थापित करना भी वर्जित है।

**पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड**  
**POWERGRID KHETRI TRANSMISSION SYSTEM LIMITED**

(A 100% wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited)  
(A Govt. of India Enterprises)

765/400 kV substation, vill.-Jasrapur, Tehsil- Khetri, District- Jhunjhunu (Rajasthan), PIN-333514  
CIN :U40100DL2019GOI347127.

3	यह कि खेवट नं. 174 खतौनी नं. 209, मुस्ततील व किला नं. 55//2/2(7-7), 3/2(7-7), 4/2(7-7) किता 3 तादादी रकबा 22 कनाल 1 मरला, वाका रकबा मौजा खैरानी मे आप द्वारा बोरवेल व मकान की अलग अलग असेसमेंट वैल्यू की विस्तृत रिपोर्ट दी जावे   उसकी सत्यापित प्रति दी जावे	बोरवेल व मकान की असेसमेंट वैल्यू की रिपोर्ट की सत्यापित प्रति संलग्न है
---	--	---

**Details of First Appellate Authority**

**Shri A.K.Mishra**

Executive Director (NR-I), First Appellate Authority,  
Power Grid Corporation of India Ltd., Northern Region –I, HQ  
SCO-5-10, Sector-16A, Faridabad (Haryana)-121002  
Phone No.0129-2666301

Thanking you.


Yours faithfully,

*Sharma* 5/7/21.

**(Alok Kumar Sharma)**  
Chief General Manager, Project Head &  
Designated CPIO, PKTSL



Estimate for Drilling of Tubewell and a Housing Chamber for Panel Board at Village Khairani, Tehsil Ateli Mandi,							
Name of Work : Drilling of 200 mm dia bore by DTH/ ODEX and 1 No. Pump Chamber for panel board housing at							
Sr. No.			Qty.	Unit	Rate	C.P. (in %)	Amount.
<b>1. For Drilling of Tubewell.</b>							
1	N.S.	Drilling of 230 mm dia bore by local bokie type machine in all kind of soils and boulders upto 125 mm dia except rocky strata including the cost of all consumable stores, fuel, oil, soil stablizing material and transportation of rig and other accessories to the site of proposed bore and back (including cost of lowering of all sizes of casing pipe while boring and extracting the same against earth frictions etc.) complete to the satisfaction of the Engineer-In-Charge.					
		0 to 61 meters bore hole (61 mtrs x 1 No.)	61	Mtr.	Mtr.	400	0 24400.00
2	N.S.	Drilling of 200 mm dia bore by DTH/ ODEX rig as per ISI code 2800-1991 (part-I) and IS 2810 1979 as amendement upto in all kinds of soil including cost of all consuable stores, fuels, oil soil stablizing material to the site of proposed bore and back complete in all respect.					
		62 to 168 meters BGL (107 mtrs x 1 No.)	107	Mtr.	Mtr.	1000	0 107000.00
3	N.S.	Supplying and lowering 219.10 mm outer dia PVC pipe Under 10kg pressure. as per IS:1239 as amended upto date, duly ISI marked for houseing pipe in 4 to 7 meters random length wit 88.90 mm of threaded ends (8 threads to an inch or 25.40mm) manufactured out of 3 mm thick M.S. plates with required number of M.S. socket 177.80 with inside thread to match the pipe treads and made out of m.S. plate in to bore hole in vertical position including cost of all scaffolding, derricks, jim, poles, tools and plants, ropes, gays M.S. clamp embedded in foundation etc. complete in all respects to the satisfaction of the Engineer-In-Charge of the work including cost of all cutting, threding of pipe welding where required and all sockets.					
		168 Mtrs x 1 No.	168	Mtr.	Mtr.	560	0 94080.00
		<b>Total</b>					<b>225480.00</b>
<b>2. Construction of 1 No. Pump Chamber for housing panel board.</b>							
1	11.9	First Class brickwork laid in cement sand motar 1:4 in first storey upto 4 meters above plinth level.	47.59	cum	cum	445.6	650% 159045.78
2	15.61	Cement pointing 1:3 deep variety on brick and tile work.	128.76	Sqm	Sqm	9.25	600% 8337.21
3	18.12	Worught iron and mild steel (using, angles, flates, square bars, tees and channels) ladders, grills grating frames, workdow gurards, iron doors quintal 147.70 1040.35 open able or fixed stair case or parapet or any other type of railing, gates and tree guards etc. including cost of screws and welding rods or bolts and nuts complete fixe in position.	5.40	Qtl.	Qtl.	1040.35	500% 33707.34
4	14.55	Fine dressed red sand stone (from Agra) 40mm thick set in 12 mm thick cement coarse sand mortar.	38.46	Sqm	Sqm	135.85	140% 12539.50
5	14.19	Flat brick paving laid dry over 25 mm thick mud mortar grouted with sand.	38.46	Sqm	Sqm	25.25	600% 6797.81
		<b>Total</b>					<b>220427.63</b>
		<b>Grand Total</b>					<b>445907.63</b>

  
 Sub-Divisional Engineer,  
 O/o Public Health Engineering Sub Division,  
 Ateli Mandi  
 Public Health Engineering Sub Division

Executive Engineer,  
 Public Health Engineering Division No.3,  
 Narnaul.

Executive Engineer  
 Public Health Engineering  
 Division No. 3, Narnaul

(2) ऐसे मामले में जहां 650 वो. से कम वोल्ट की कोई ओवरहेड लाइन किसी इमारत के ऊपर या पास से गुजरती है अथवा समाप्त होती है, किसी भी पहुंच बिन्दु से, अधिकतम झोल के आधार पर निम्नलिखित न्यूनतम अंतराल रखा जाएगा, अर्थात्: -

(i) किसी भी सपाट छत, खुली बालकनी, वराण्डा, छत और झुकी हुई छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, उच्चतम बिन्दु से लम्बवत दूरी 2.5 मी.; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, सबसे नजदीक के बिन्दु से समानांतर दूरी 1.2 मी.; और

(ii) ढलवां छत के लिए

(क) लाइन जब इमारत के ऊपर से गुजर रही हो, लाइन के तत्काल नीचे से 2.5 मी. की लम्बवत दूरी; और

(ख) लाइन जब इमारत के नजदीक से गुजर रही हो, 1.2 मी. का अंतराल।

(3) कोई सुचालक, जो इस प्रकार लगाया है कि उसकी दूरी उपरोक्त निर्धारित दूरी से कम है, पर्याप्त रूप से इंसुलेटेड होगा और कम से कम 350 कि.ग्रा. के भंगुरता बल वाले अर्थ किए गए खुले बीयरर वायर से पर्याप्त अंतरालों पर जुड़ा होगा।

(4) समानांतर दूरी तब नापी जाएगी, जब लाइन वायु दाब के कारण लम्बवत से अधिकतम विचलन पर हो।

(5) लम्बवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में विनिर्दिष्ट दूरी के अनुसार होगी।

**स्पष्टीकरण** - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, "इमारत" शब्द में कोई भी अवसंरचना, चाहे वह स्थाई हो या अस्थायी, सम्मिलित है।

**61. 650 वो. से अधिक वोल्ट वाली लाइनों की इमारतों से दूरी** - (1) ओवरहेड लाइन जहां तक संभव हो मौजूदा इमारत के ऊपर से नहीं गुजरेगी और मौजूदा ओवरहेड लाइन के नीचे कोई इमारत नहीं बनाई जाएगी।

(2) ऐसे मामले में जहां 650 वो. से अधिक वोल्ट वाली ओवरहेड लाइन किसी इमारत अथवा इमारत के हिस्से के ऊपर से अथवा नजदीक से गुजरती है, ऐसे लाइन के तत्काल नीचे बनी इमारत के सबसे ऊंचे हिस्से से लाइन के अधिकतम झोल के आधार पर लम्बवत दूरी निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी -

(i) 650 वो. से अधिक किन्तु 33,000 वो. - 3.7 मी.  
तक और सहित वोल्ट वाली

## लाइन के लिए

- (ii) 33 के.वी. से अधिक वोल्ट वाली - 3.7 मी. + 0.30  
लाइन के लिए मी. प्रत्येक  
अतिरिक्त 33,000  
वो. या इसके भाग  
के लिए

(3) सबसे नजदीकी सुचालक और ऐसी इमारत के बीच की समानांतर दूरी, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार, निम्नलिखित दूरी से कम नहीं होगी -

- (i) 650 वो. से अधिक और 11,000 वो. - 1.2 मी.  
तक और सहित वोल्ट वाली लाइन  
के लिए
- (ii) 11000 वो. से अधिक और 33,000 वो. - 2.0 मी.  
तक और सहित वोल्ट वाली लाइन  
के लिए
- (iii) 33 के.वी. वोल्ट से अधिक वाली  
लाइन के लिए - 2.0मी. + 0.3 मी.  
प्रत्येक अतिरिक्त 33 के.वी.  
अथवा इसके भाग के लिए

(4) उच्च वोल्ट वाली डायरेक्ट करेंट (एचवीडीसी) प्रणाली के लिए, वायु दबाव के कारण अधिकतम विचलन के आधार पर इमारत से लम्बवत दूरी और समानांतर दूरी इस प्रकार रखी जाएगी:-

क्र.सं.	डीसी वोल्ट (के.वी.)	लम्बवत दूरी (मीटर)	समानांतर दूरी (मीटर)
1	100 के.वी.	4.6	2.9
2	200 के.वी.	5.8	4.1
3	300 के.वी.	7.0	5.3
4	400 के.वी.	7.9	6.2
5	500 के.वी.	9.1	7.4
6	600 के.वी.	10.3	8.6
7	800 के.वी.	12.4	10.7

(5) लम्बवत तथा समानांतर दूरी अनुसूची X में निर्धारित दूरी के अनुसार होगी ।